KARDEX. NO.C.2

PURCHASER ... SIG OF S.R. D.R. OFFICE R.R. DIST. 82006 118061 JAN 23 2008 Rs.0001050 COMP. NO. 2660334 INDIA STAMP DUTY ANDHRA PRADESH

फार्म सी.2
FORM C.2

Joint Sub-Registrar ! EX-Officio Stamp Vender R.O. [OB] Ranga Reddy Dist.

(माल और आस्तियों के आड्मान का अनुबन्ध)
(AGREEMENT OF HYPOTHECATION OF GOODS AND ASSETS)

(अनुप्रमाणित न किया जाए)
(ऋणी कंपनियों के मामले में प्रभार का ब्यौरा कंपनी रजिस्ट्रार के यहां पंजीकृत कराया जाए)
(इसे अनुबन्ध और सामान्य मुख्तार नामे की तरह स्टाम्पित किया जाए)

(NOT TO BE ATTESTED)
(Particulars of charge to be registered with Registrar of Companies in the case of borrower companies)
(To be stamped as an Agreement and General Power of Attorney)

यह अनुबन्ध ज्ञापन दिनांक मास वर्ष को

श्री/श्रीमती/कुमारी*
पुत्र/पत्नी/पुत्री
जो इस समय मेसर्स**
के नाम और अभिनाम से***
एकमात्र स्वतत्वधारी के रूप में व्यवसाय कर रहा/रही है.

*कृपया ऋणी का नाम लिखें
**कृपया फार्म का नाम लिखें
***व्यवसाय स्थान का कृपया पूरा नाम लिखें

(जिसे इसमें इसके पश्चात् "ऋणी" कहा गया है और जब तक यह शब्द उसके संदर्भ या अर्थ में प्रतिकूल न हो, इसमें वह और उसके वारिस, निष्पादनकर्ता, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी या अनुमत समनुदेशिती सम्मिलित समझे जाएंगे) जो एक पक्ष है.

MEMORANDUM OF AGREEMENT made the 04 day of ~~January~~ february 2008 between

Shri/Smt./Kum.*
son of/wife of/daughter of
at present carrying on the business at**

as sole proprietor/proprietress under the firm name and style of Messrs***

(hereinafter referred to as "the Borrower" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to include him / her and his/her heirs, executors, administrators, legal representatives, successors and permitted assigns) of the One Part.

* Please insert the name of the borrower.
**Please insert the full address of the place of business.
***Please insert the name of the firm.

या

श्री/श्रीमती/कुमारी *
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
श्री/श्रीमती/कुमारी *
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
श्री/श्रीमती/कुमारी *
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
और श्री/श्रीमती/कुमारी *

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
जो इस समय **   में भागीदारी में
मेसर्स ***
के नाम और अभिनाम से व्यवसाय चला रहे हैं.

(जिसे इसमें इसके पश्चात् "ऋणी" कहा गया है और जब तक यह शब्द उसके संदर्भ या अर्थ में प्रतिकूल न हो, तब तक इसमें वे और उनके सभी उत्तरजीवी या उनमें से जो उत्तरजीवी बचे रहेंगे या फर्म के उस समय जो भागीदार होंगे/ होगा और उस/उन के वारिस, निष्पादनकर्ता प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती सम्मिलित समझे जायेंगे) जो एक पक्ष है.

OR

Shri/Smt./Kum. *
son of/wife of/daughter of
Shri/Smt./Kum.*
son of/wife of/daughter of
Shri/Smt./Kum.*
son of/wife of/daughter of
and Shri/Smt./Kum. *
son of/wife of/daughter of
at present carrying on the business at **
in partnership under the firm name and style of
Messers ***

(hereinafter referred as "the Borrower" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to include them and survivors or survivor of them or the partners or partner for the time being thereof. and his/her/their respective heirs. executors. administrators. legal representatives successors and permitted and assigns) of the One Part.

या

श्री

पुत्र श्री   अपनी ओर से और
संयुक्त परिवार के कर्ता के रूप में मेसर्स   के
नाम और अभिनाम से

का सयुंक्त परिवार का व्यवसाय चलाते हैं
(जिसे इसमें इसके पश्चात् "ऋणी" कहा गया है और जब तक यह शब्द उसके संदर्भ या अर्थ की दृष्टि से प्रतिकूल न हो तब तक इसमें वह स्वयं और ऋणी के संयुक्त परिवार के सभी सहदायी या एक सहदायी और उन के उत्तरजीवी और उन/उसके वारिस, निष्पादनकर्ता, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल समझे जायेंगे) जो एक पक्ष है.

OR

Shri

Son of   for self and as
the Karta of his joint family carrying on the business

of   as joint family business under
the firm name and style of
(hereinafter referred to as "the Borrrower" which expression shall unless repugnant

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

to the context or meaning thereof be deemed to include him and all the coparceners or coparcener of the joint family of the Borrower and the survivors or survivor of them and his/their respective heirs executors, administrators, legal representatives successors and permitted assigns) of the One Part

या

के नाम की सोसाइटी/संघ जिसका पंजीकरण सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत हुआ है और जिसका पंजीकृत कार्यालय

जगह पर है, और अब

का व्यवसाय कर रही है.
(जिसे इसमें इसके पश्चात् "ऋणी" कहा गया है, और जब तक यह शब्द उसके संदर्भ में या उसके अर्थ की दृष्टि से प्रतिकूल न हो तब तक इसमें उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे) जो एक पक्ष हैं.

OR

a society/association registered under the Societies Act, and having its registered office at

at present carrying on the business of
(hereinafter referred to as "the Borrower" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to include its successors and permitted assigns) of the One Part

या

लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम 1956 के अर्थ के अनुरूप एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय

जगह पर है, और जो वर्तमान में

का व्यवसाय कर रहा है.
(जिसे इसमें इसके पश्चात् "ऋणी" कहा गया है और जब तक यह शब्द उसके संदर्भ या इसके अर्थ की दृष्टि से प्रतिकूल न हो, तब तक इसमें उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती उसमें सम्मिलित समझे जायेंगे) जो एक पक्ष है और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के अधीन एक नियमित निकाय के रूप में गठित भारतीय स्टेट बैंक, जिसका स्थानीय प्रधान कार्यालय

में स्थित है और जिसकी एक शाखा अन्य स्थानों के अतिरिक्त

में भी है.

(जिसे इसमें इसके पश्चात् "बैंक" कहा गया है और जब तक यह शब्द उसके संदर्भ या अर्थ की दृष्टि से प्रतिकूल न हो, तब तक इसमें उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती सम्मिलित समझे जायेंगे), दूसरे पक्ष के बीच का अनुबंध है.

OR

M/S DILPREET TUBES PRIVATE Limited, a company within the meaning of the Companies Act, 1956, and having its registered office at Plot No. 8 Nacharam Industrial Estate Hyderabad.

at present carrying on the busines of
(hereinafter referred to as "the Borrower" which expression shall unless repugnant to

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

Executive Director

the context or meaning thereof be deemed to include its successors and permitted assigns) of the One Part and STATE BANK OF INDIA, a corporation constituted under the State Bank of India Act, 1955 and having one of its Local Head Office at Hyderabad

and amongst other places a branch at Balanagar

(hereinafter referred to as "the Bank" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to include its successors and assigns) of the Other Part.

चूंकि दिनांक को, ऋणी द्वारा निष्पादित ऋण अनुबंध (जिसे इसमें इसके पश्चात् "कथित ऋण अनुबंध कहा गया है) की शर्तों के अनुरूप बैंक ने यह स्वीकार कर लिया है कि वह ऋणी के व्यवसाय के वित्तपोषण के लिए ओवरड्राफ्ट, मांग-ऋण, ऋण, कैश-क्रेडिट ("लॉक" एंड "की", "फैक्टरी टाइप" या "मण्डी टाइप" सुविधा या दृष्टि बंधक या किसी और सुविधा के रूप में, जिसमें कर्यशील पूंजी के लिए सावधि ऋण भी शामिल है,) सावधि ऋण (जिसमें ब्याज का निधीयन अथवा स्थापन संपुट के रूप में स्वीकृत कोई अन्य सुविधा भी शामिल है,) पूर्व पोत-लदान और पोत-लदानोत्तर ऋण, साख पत्रों का खोलना, आस्थगित भुगतान गारंटियों सहित सभी गारंटियाँ और क्षति पूर्तियां जारी करना, और देशी या विदेशी हुण्डियों और चैकों का बेचना और बट्टाकरण और ऐसी अन्य सुविधाएँ शामिल हैं, समय-समय पर जिस पर बैंक और ऋणी के बीच सहमति हो जाए, जिससे सभी सुविधाओं के योग की कुल राशि किसी एक समय पर रुपए (रुपए केवल) से अधिक नहीं होगी (इन्हें आगे चल कर "उपर्युक्त ऋण सुविधाएँ" कहा गया है) और जो उसमें निर्दिष्ट और उल्लिखित शर्तों एवं नियमों के अनुरूप होंगी.

WHEREAS in terms of the Agreement of Loan executed by the Borrower on the 25th day of December 2007 19 (hereinafter referred to as "the said Agreement of Loan") the Bank has agreed to finance the business of the Borrower by granting all or some or any of the credit facilities by way of overdrafts, demand loans, loans, cash credits (by way of pledge lock and key type, factory type or mundy type or by way of hypothecation or in any other form including working capital term loan), term loans (including funding of interest or in any other form granted as part of rehabilitation packages), pre-shipment and post-shipment credits, opening of letters of credit, issuing of guarantees including deferred payment guarantees and indemnities, negotiation and discounting of bills and cheques, inland as well as foreign, and such other facilities as may be agreed upon fr m time to time between the Bank and the Borower for sums not exceeding at any one time in the aggregate the um of Rs. 12.50 Cr (Rupees Twelve Crores fifty lakhs only) (hereinafter refered to as "the aforesaid facilities") on the terms and condtions specified and contained therein.

और चूंकि उपरोक्त ऋण अनुबंध में निर्दिष्ट एक शर्त यह है कि ऋणी कथित रुपए कि राशि के बकाया संदेय और ब्याज, बट्टा, कमीशन, शुल्क और व्यय (मुवक्किल और वकील के बीच का) और उस संबंध में बैंक द्वारा संदेय या वहन किए गए व्यय की प्रतिभूति के रुप में, अपना माल, बही-ऋण और अन्य सभी चल आस्तियां बैंक के पास प्रथम प्रभार के रूप में आडमानित रखेगा.

AND WHEREAS one of the conditions specified and contained in the said Agreement of Loan is that the Borrower shall as security for due payment of the said sum of Rs.12.50 Cr /- and interest discount commission charges and costs

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

Executive Director

(between Advocate and Client) and expenses payable to or incurred by the Bank in relation thereto hypothecate by wy of first charge all the Borrower's goods book-debts and all other movable assets.

और चूंकि बैंक ने ऋणी से अनुरोध किया है कि वह यहां उल्लिखित इन विलेखों का निष्पादन करे जिसे ऋणी ने इसमें इसके पश्चात् दिये गए रुप में निष्पादित करना स्वीकार कर लिया हैं.

AND WHEREAS the Bank has requested the Borrower to execute these presents which the Borrower has agreed to do in the manner hereinafter expressed.

अतः अब ये विलेख साक्षी हैं :-

NOW Therefore These Presents Witnesseth -

माल आदि का आड्मान

(1) कि उपरोक्त ऋण अनुबंध के एवज में और बैंक ने ऋणी को वांछित प्रयोजन के लिए उपर्युक्त ऋण सुविधाओं में से कोई या सभी या जो सुविधाएं दी हैं और/या देना स्वीकार कर लिया है और उनके एवज में इन सुविधाओं संबंधी उपर्युक्त ऋण अनुबंध की शर्तों एवं नियमों के अनुरूप और उपर्युक्त प्रावधानों के एवज में यह सहमति दी जाती है और घोषणा की जाती है कि ऋणी का सारा वर्तमान और भावी माल, बही-ऋण और सभी चल आस्तियां, जिनमें माल स्वामित्व के प्रलेख भी शामिल है, और साथ ही साथ बकाया राशियां और प्राप्त राशियां भी शामिल हैं जिनमें नगदी सहायता और/या नक्दी प्रोत्साहन योजना या अन्य किसी योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में मिलने वाली नक्दी भी शामिल है, साथ ही दावों में वे दावे भी शामिल है जिनमें शुल्क वापसी ऋण योजना या किसी अन्य योजना के अंतर्गत सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क के दावे भी शामिल है और साथ ही बिल, बीजक प्रलेख, संविदाएँ, बीमा पॉलिसियां, गारंटियां, वादे, प्रतिभूतियां, पूंजी निवेश और अधिकार इसके साथ नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित मशीनरी और भविष्य में ऋणी के स्वामीत्व में, या उसके कब्जे में या उसके नियंत्रण में आने वाली मशीनें, वे किसी भी गोदाम में रखी हों और चाहे ऋणी के या बैंक के या किसी तीसरे पक्ष के कब्जे में हो, चाहे वह भारत में हो या पूरे संसार में अन्यत्र (इनमें ऐसे सभी माल, अन्य चल आस्तियां भी शामिल हैं जो पोत-लदान, मार्गस्थ अथवा सुपुर्दगी के अंतर्गत मार्गस्थ हों) (इन्हें यहां इसके पश्चात् "कथित माल और आस्तियां" कहा गया हैं), बैंक के पास ये प्रतिभूतियां प्रथम प्रभार के रुप में आड्मानित रहेंगी जो बैंक को उसके द्वारा रुपए (रुपए) मांगे जाने पर, ऋणी द्वारा अदायगी और उन्मोचन के लिए उपलब्ध होंगी (लेकिन शर्त यह हैं कि, यदि ऋणी ने किसी तीसरे के पक्ष में कोई प्रभार अधिसूचित किया हो, और बैंक को उसकी सूचना दे दी हो और बैंक ने उसे अपने प्रभार की अपेक्षा उसे प्राथमिकता देना स्वीकार कर लिया हो, तो वह इसमें शामिल नहीं होगा.) किसी भी समय ऋणी द्वारा बैंक को संदेय या ऋणी को मंजूर किए गए या किए जाने वाले सभी या कुछ या कोई भी ऋण या दी जाने वाली सुविधाओं की चुकौती के लिए भी यही बंधक लागू होगा. साथ ही, बैंक द्वारा दिये गये साख पत्र या गारंटी या ऋणी के लिये जारी की गई क्षतिपूर्ति के रुप में या अन्यथा बैंक के किसी भी कार्यालय में किसी खाते के लिए (वह भारत में खोला जाय या कहीं और, चाहे उपचित या उपचित होने वाले या आकस्मिक हों और चाहे वे एकल खोले जायें या दूसरों के साथ संयुक्त) और किन्हीं भी हुण्डियों या वचन पत्रों या किन्हीं लिखतों के लिए जो ऋणी ने एकल रुप में अथवा संयुक्त रुप से आहरित की हो, तैयार की हों, स्वीकार की हो या उनका पृष्ठांकन किया हो, जिन्हें बैंक भुना सकता है या जिसमें पूरे ब्याज, बट्टा, कमीशन, शुल्क, लागतें (जैसे कि कोई मुवक्किल अपने वकील को देता हैं) और संदेय खर्च/व्यय या बैंक द्वारा उस संबंध में किये गये खर्च में बैंक को रुचि हो. इसके बावजूद यदि बैंक ने ऋणी की विशेष प्रार्थना पर और अपने एकल विवेकाधिकार से, जिसकी सूचना उसने लिखित रुप से ऋणी को दी हो कि किसी विशेष माल, बही ऋण और अन्य चल आस्तियों के बारे में आड्मान के रुप में यह प्रभार लागू नहीं होगा,

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

वहां ऐसा माल, बही-ऋण और अन्य चल आस्तियां, उपर्युक्त प्रकार से बैंक को आड्मानित नहीं मानी जायेंगी.

Hypothecation of goods etc.

(1) That in pursuance of the said Agreement of Loan and in consideration of the Bank having granted and/or agreed to grant to the Borrower all or some or any of the aforesaid credit facilities for the purposes and subject to the terms and conditions specified and contained in the said Agreement of Loan and in consideration of the premises aforesaid it is hereby agreed and declared that all present and future goods book-debts and all other movable assets of the Borrower including documents of title to the goods, outstanding moneys, receivables including receivables by way of cash assistance and /or cash incentives under the Cash Incentive Scheme or any other Scheme claims including claims by way of reund of customs/excise duties under the Duty Drawback Credit Scheme or any other Scheme, bills, invoices documents, contracts, insurance policies, guarantees, engagements, securities, investments and rights and the present machinery listed in the schedule hereunto and all future machinery belonging to or in the possesion or under the control of the Borrower wherever lying stored and kept and whether in possession of the Borrower or of the Bank or of any third party whether in India or elsewhere throughout the world (including all such goods, other movable assets as may be in course of shipment transit or delivery) (hereinafter referred to as "the said goods and assets") shall stand hypothecated to the Bank by way of first charge (subject, however, to any charge in favour of any third party which may have been notified by the Borrower and accepted by the Bank as having priority over its own charge) as security for payment and discharge by the Borrower to the Bank on demand of a sum of Rs. 12.50 (Rupees Twelve crores fifty lacs only) and all other moneys at any time payable by the Borrower to the Bank under or in respect of all or some or any of the aforesaid credit facilities granted or to be granted to the Borrower and also as security for the payment and discharge of all indebtedness whatsoever or liability of the Borrower to the Bank in respect of any liability undertaken by the Bank under any letter of credit opened or guarantee or indemnity issued by the Bank for the Borrower or otherwise in respect of any account at any office of the Bank (whether in India or elsewhere and whether accrued, accruing or contingent and whether solely or jointly with others) and any bills of exchange promissory notes or instruments at any time drawn made accepted or endorsed by the Borrower solely or jointly with others which the Bank may discount or become interested in together with all interest discount commission charges costs (between Advocate and Client) and expenses payable to or incurred by the Bank in relation thereto, Provided however, that where the Bank has at the specific request of the Borrower and in its sole discretion communicated in writing to the Borrower that in respect of any specific items of goods, book-debts and other movable assets this charge by way of hypothecation will not operate, such goods book-debts and other movable assets shall be deemed as not having been hypothecated to the Bank as stated hereinbefore.

बैंक के द्वारा निर्धारित दरों पर ब्याज लेने का अधिकार

2. उपर्युक्त ऋण सुविधाएं के लिए खोले गये खातों में शेष राशियों पर उन दरों से ब्याज लिया जायेगा जिनका निर्धारण बैंक समय-समय पर अपने ऐसे एकल विवेकाधिकार से करेगा जिसका आधार ऋणी की साख होगी और इसका निर्धारण बैंक आंतरिक मूल्यांकन विधि से या किसी अन्य प्रक्रिया से करेगा. परन्तु ये दरें तब परिवर्तित होंगी जब स्टेट बैंक अग्रिम दर और/या रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर बनाई गई किसी योजना/योजनाओं के अंतर्गत ऋणी को दी गयी ऋण सुविधाओं के कारण रियायती दर या दरों पर ब्याज लेता हैं, ऋणी इस बात को स्वीकार करता हैं, घोषणा करता है, पुष्टि करता है और प्रतिज्ञान करता हैं कि यदि ऐसी योजना/योजनाओं को वापस ले लिया जाता है, उनमें रुप भेद कर दिया जाता हैं और/या उन्हें बदल दिया जाता हैं तो ब्याज की रियायती दर या दरें वापस ले ली गयी मानी जायेंगी और ऐसी

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

Executive Director

ऋण सुविधाओं पर किसी समय विशेष पर लागू होने वाली बैंक की सामान्य ब्याज दर या दरें प्रभावी हो जायेंगी और बैंक को इस बात का अधिकार मिल जायेगा कि वह ऋणी से ऐसी दर या दरों पर ब्याज ले और ऋणी बैंक की मांग पर उसे रियायती दर या दरों और उस समय पर लागू होने वाली बैंक की सामान्य दर या दरों के बीच की अंतर राशि चुकाये. यह अंतर की राशि ऋणी द्वारा बैंक को उस तिथि से देय हो जायेगी जिस दिन ऐसी योजना/योजनाओं को वापस ले लिया गया हो, उनमें रुप भेद कर दिया गया हो और/या उन्हें बदल दिया गया हो. इस ब्याज की राशि का आंकलन ऐसे खाते/खातों में प्रतिदिन शेष राशियों के आधार पर किया जायेगा और बैंक के व्यवहार के अनुसार महीने के अंतिम कार्य दिवस या तिमाही के अंतिम कार्य दिवस को उन खातों के नामे डाल दिया जायेगा. बैंक को यह भी अधिकार होगा कि वह अपने विवेकाधिकार से खाते/खातों पर, या तो सारी शेष राशि को या उसके किसी अंश पर, जो कि वह किसी अनियमितता के लिए निर्धारित करे और जिस अवधि तक वह अनियमितता जारी रहे उसके लिए, जैसा कि बैंक आवश्यक समझे, ऐसी बढ़ाई गई दरों पर ब्याज ले सकता है जो कि वह आवश्यक समझे. बैंक इस बात का ध्यान रखेगा कि वह अनियमितता किस प्रकार की है. इस प्रकार बढ़ी हुई दर पर ब्याज लेने से बैंक के अन्य अधिकारों और उसे उपलब्ध उपचारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

ब्याज की दर में वृद्धि करने का अधिकार

Right to charge interest at such rate(s) as may be determined by the Bank

(2) Interest shall be charged on the outstanding(s) in the accounts opened in respect of the aforesaid credit facilities at such rate(s) as maybe determined by the Bank from time to time at the Bank's sole discretion on the basis of any internal credit rating accorded to the Borrower or otherwise provided that the rate(s) shall be subject to changes in the State Bank Advance Rate and/or changes in interest rates prescribed by the Reserve Bank of India from time to time. Where interest is charged by the Bank at a concessionary rate or rates because of the credit facilities being granted by the Bank to the Borrower under the Interest Subsidy Scheme or any other Scheme(s) formulated by the Government and/or Reserve Bank of India and/or any other authority from time to time, the Borrower agrees declares confirms and affirms that in the event of the withdrawal, modification and/or variation of such Scheme(s), the concessionary rate or rates of interest shall stand withdrawn and the usual rate or rates of interest of the Bank applicable at the material time to such credit facilities shall become effective and the Bank shall become entitled to charge the Borrower such rate or rates of interest and the Borrower shall pay to the Bank on demand the difference between such concessionary rate or rates and the usual rate or rates of interest of the Bank applicable at the material time to such credit facilities and such difference shall become due and payable by the Borrower to the Bank from the date the withdrawal, modification and/or variation of such Scheme(s) becomes effective. interest shall be calculated respectively on the daily balance of such account(s) and be debited thereto on the last working day of the month or quarter according to the practice of the Bank. The Bank shall also be entitled to charge at its own discretion such enhanced rates of interest on the account(s) either on the entire outstandings or on a portion thereof as it may fix for any irregularity and for such period as the irregularity continues or for such time as the Bank deems it necesary regard being had to the nature of the irregularity and the charging of such enhanced rate of interest shall be without prejudice to the Bank's other rights and remedies.

Right to enhance the rate of interest

(3) कि बैंक के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह अपने विवेकाधिकार के अलावा अन्य प्रकार से उपरोक्त सभी, आंशिक या कोई ऋण सुविधा दे या देता रहे और ऋण की यह राशि किसी भी परिस्थिति में भी समय रुपए

की राशि या उपरोक्त माल और आस्तियों के मूल्य के एक निर्धारित प्रतिशत की राशि से कदापि अधिक नहीं होगी. इस प्रतिशत की सूचना बैंक समय-समय पर देगा और उपरोक्त दोनों में से जो राशि

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
MANAGER

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

कम होगी वह देय होगी और माल आदि का मूल्यांकन बैंक द्वारा निर्धारित तरीके और दरों पर किया जायेगा.

(3) That the Bank shall not be requied to grant or continue all or some or any of the aforesaid credit facilities otherwise than at the Bank's discretion and in no circumstances for sums exceeding at any one time in the aggregate the sum of Rs. 12.50 cr (Rupees Twelve crores fifty lakh only) or a sum equal to a stated percentage of the value of the said goods and assets which the Bank may specify from time to time whichever sum may be the less, valuation being done in the manner and at the rates approved by the Bank.

(4) कि ऋणी हर समय उपरोक्त माल और आस्तियों की पर्याप्त मात्रा और बाजार मूल्य बनाए रखेगा जिससे कि समय-समय पर बैंक द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति के मार्जिन बने रहें और जब भी आवश्यक होगा वह यह मार्जिन फिर से स्थापित करने के लिए ऐसे अन्य माल और आस्तियां (जो बैंक द्वारा स्वीकार्य हों) लायेगा या उनके बराबर की राशि नक्दी में बैंक को देगा. जारी किये गये साख पत्रों या बैंक द्वारा ऋणी की ओर से जारी की गई गारंटियों और क्षतिपूर्तियों के बारे में ऋणी समुचित नक्दी या अन्य प्रतिभूति जमा करायेगा जो कि बैंक को स्वीकार्य हो और वह बैंक द्वरा निर्धारित मार्जिन धन के रूप में होगी. बैंक को यह अधिकार होगा और वह अपने एकल और सम्पूर्ण विवेकाधिकार से मार्जिनों को बदल सकेगा और ऋणी उनसे आबद्ध होगा, भले ही बैंक उससे पहले अन्य मार्जिनों की सहमति दे चुका हो.

(4) That the Borrower will at all times maintain a sufficient quantity and market value of the said goods and assets to provide the margins of security required by the Bank from time to time and will forthwith whenever necessary provide further goods and assets (approved by the Bank) to restore such margins or pay the Bank the equivalent in cash. In respect of letters of credit opened or guarantees or indemnities issued by the Bank on behalf of the Borrower, the Borrower will deposit sufficient cash or other security as may be acceptable to the Bank as margin money as stipulated by the Bank. The Bank shall be entitled to and shall at its sole and absolute discretion change the margins and the Borrower shall be bound by it notwithstanding any margins earlier agreed to by the Bank.

(5) बैंक को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि कथित माल अीर आस्तियां जो उसके पास उपर्युक्त ढंग से आडमान के रूप में रखी गयी है, उनका मूल्यांकन बैंक द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता से करवा सके और ऋणी उस मूल्यांकनकर्ता को सब प्रकार की सहायता/सहयोग देगा और इस मूल्यांकन कार्य का शुल्क और खर्चे बैंक द्वारा खोले गये उपरोक्त खातों के नामे डाल दिये जायेंगें और इस अनतंध के अंतर्गत निर्मित प्रतिभूति पर प्रभाव होंगे.

(5) That the Bank shall be at liberty to have any of the said goods and assets that may be hypothecated as aforesaid valued by an appraiser appointed by the Bank and the Borrower shall render/give all assistance/co-operation to such appraiser and the fees and expenses of such appraisement shall be debited to the said accounts opened by the Bank and shall be a charge on the security created hereunder.

प्रभारित संपत्ति का बीमा

(6) कि उपरोक्त सभी माल, बहिऋण और अन्य चल संपत्तियां जो उपरोक्त ऋण सुविधाओं या उनमें से किसी के लिए प्रतिभूति के रूप में बेंक के पक्ष में प्रभावित है, ऋणी के जोखिम और खर्च पर अच्छी हालत में रखी जायेंगी और ऋणी इनकी चोरो या हानि से बचाव के लिये अपेक्षित ढंग से उनका पूरा बीमा करायेगा. विशेष रूप से जो मशीनें बैंक के पास आडमान के रूप में हों उनका बीमा आग या अन्य जोखिम/जोखिमों के विरूद्ध करायेगा, जैसी बैंक समय-समय पर अपेक्षा करे. यह

For DILPREET TUBES PVT. LTD

MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

Executive Director

बीमा ऋणी ओर बैंक के संयुक्त नाम में ऐसी बीमा कंपनी द्वारा, जो बैंक द्वारा अनुमोदित हो, और ऐसी राशि के लिए जो बैंक आवश्यक समझे ऋणी द्वारा करवाया जायेगा.' और बैंक जब भी अपेक्षा करे, यह बीमा पालिसियां उसे दी जायेंगी. यदि ऋणी ऐसा बीमा न करा सके तो बैंक, यद्यपि वह इस बात के लिए बाध्य नहीं है, उपरोक्त माल और आस्तियों का बीमा आग और /या अन्य जोखिम/जोखिमों के विरूद्ध करा सकता है और यह बीमा ऋणी और बैंक के संयुक्त नाम में होगा. इस बीमे की किश्त और अन्य शुल्कों राशि ऋणी के किसी खाते के नामे डाल दी जायेगी जो खोला जा चुका हो या खोला जाना हो. यदि बैंक को किसी समय यह आशंका हो कि माल और अन्य आस्तियों तथा मशीनों के लिए खतरा है, क्योंकि कोई दंगा हो गया है और/ या हड़ताल है (उससे लगने वाली आग भी इस जोखिम में शामिल है) और/या बाढ़, भूचाल आदि और/या इन से उत्पादन की हानि हो रही है तो बैंक अपने विवेकाधिकार से, परन्तु वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है, या तो बीमा करा सकता है औरं या ऋणी से यह सकता है कि वह इन घटनाओं से होने वाली किसी क्षति के विरूद्ध अपने और बैंक के संयुक्त नाम में बीमा कराये और इस अतिरिक्त बीमे की लागत ऋणी द्वारा देय होगी और ऐसी राशि ऋणी के किसी भी खाते नामे डाल दी जायेगी. यदि बैंक यह चाहे कि उपरोक्त माल, अन्य आस्तियों और चल आस्तियों का बीमा चोरी के विरूद्ध कराया जाये तो ऋणी ऐसा बीमा करायेगा. यदि बैंक ऐसा आदेश दे तो ऋणी ऐसी मशीनों के खराब हो जाने और आग, बिजली और बाढ़ से ऋणी की संपत्तियों को होने वाली क्षति के विरूद्ध समुचित राशि का बीमा करायेगा. ऋणी यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि बैंक को यह अधिकार होगा कि किसी भी बीमे के अंतर्गत या उसके संबंध में उठने वाले किसी झगड़े को उसके समायोजन, निपटारा, समझौता या पंचनिर्णय के लिए सौंप सके. ऐसा समायोजन, निपटारा, समझौता पंचनिर्णय का आदेश वैध होगा और ऋणी के लिए बाध्यकारी होगा और बैंक को ऐसे किसी बीमे या उसके अंतर्गत किये गये दावे की सभी देय राशियां प्राप्त करने और उनके लिए वैध रसीद देने का भी अधिकार होगा. इस प्रकार प्राप्त राशि ऋणी के खाते में डाल दी जायेगी और ऋणी इस बारे में कोई आपत्ति नहीं कर सकेगा कि उससे अधिक राशि मिल सकती थी या मिलनी चाहिए थी. ऋणी को यह भी अधिकार नहीं होगा कि वह बाकि शेष रशि, जो ऐसी राशि किसी खाते या खातों में डाले जाने के बाद बच रही हो, उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है. लेकिन शर्त यह है कि बैंक को इस बात का पूरा अधिकार होगा कि वह अपने सम्पूर्ण और निर्विवाद विवेकाधिकार से इनमें से किसी या सभी अपेक्षाओं की पूर्ति न करने की छूट दे दे.

To insure property charged

(6) That all the said goods book-debts and other movable assets hypothecated, or otherwise charged to theBank as security for the aforesaid credit facilitiies or any of them as maybe required by the Bank shall be kept at the Borrower's risk and expense in good condition and fully insured by the Borrower against loss or damages as maybe required by the Bank due to any reason whatsoever and particualrly the machineries hypothecated to the Bank, against the fire and or such other risk(s) as the Bank may from time to time stipulate in the joint names of the Borrower and the Bank with an insurance company approved by the Bank and for such amount as the Bank may consider necessary and that the insurance policies shall be delivered to the Bank when required by the Bank to do so, if the Borrower falls to effect such insurance the Bank may, but without being obliged to do so, insure the said goods and other assets against the fire and/or such risk(s) in such joint names and debit the premium and other charges to any account of the Borrower opened or to be opened and in the event of the Bank being at any time apprehensive that the safety of the goods and other assets and machinery is likely to be endangered owing to riot and/or strike (including fire arising therefrom) and/or floods earthquakes etc. and/or also resulting in the loss or production therefrom the Bank may at its discretion but without being bound to do so insure or require the Borrower to insure the same in such joint names against any damage arising therefrom the cost of such extra insurance being payable by the Borrower and be debited to any such account. If the Bank

For DILPREET TUBES PVT. LTD. 9

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

Executive Director

desires that the said goods, and other movable assets shall be insured against theft the Borrower shall provide the necessary cover therefor. The Borrower shall provide if the Bank so directs sufficient insurance cover against breakdown of such machineries and against loss and damage by fire lighting and flood to such properties of the Borrower. The Borrower further expressly agrees that the Bank shall be entitled to adjust settle compromise or refer to arbitration any dispute arising under or inconnection with any insurance and such adjustment, settlement compromise and any award made on such arbitration shall be valid and binding on the Borrower and also to receive all moneys payabe under any such insurance or under any claim made thereunder and to give a valid receipt therefor, and that the amount so received shall be credited to the Borrowers account and the Borrower shall not raise any question that a larger sum might or ought to have been received or be entitled to dispute his liability for the balance remaining due on any account or accounts after such credit, provided that the Bank may at its own absolute and unqualified discretion waive all or any of these requirements.

On default the Bank may insure

(7) कि बैंक, उसके अभिकर्ताओं ओर नामांकित व्यक्तियों को हर समय यह अधिकार होगा कि वे ऋणी को सूचना दिये बिना, परंतु ऋणी के जोखिम और खर्च पर, ओर यदि ऋणी के नाम में या उसके मुख्तार के रूप में आवश्यकता पड़े तो उस रूप में, बैंक उस स्थान में प्रवेश कर सकता है जहां माल और आस्तियां रखी हों और उनका निरीक्षण, मूल्यांकन, बीमा, अधिक्षण, निपटान और/या उपरोक्त माल और अस्तियों या उनके किसी अंश का विवरण दे सकता है और इस प्रकार प्रवेश करने के लिए विवरण, खातों, रिपोर्टों, और जानकारी की जांच पड़ताल कर सकता है और ऐसे सभी काम और बातें कर सकता है जो कि बैंक आवश्यक समझे. इन कामों में किसी ऐसे स्थान का ताला तोड़ना यो ना भी शामिल है जहां आडमानित रखा गया माल और हिसाब-किताब की पुस्तकें या आडमानित ऋणों और आस्तियों की अन्य दस्तावेजें पड़ी हों या रखी गयी हों/साथ ही यदि ऋणी किसी ऐसे धन के भुगतान में चूक करता हैं, जिसकी प्रतिभूति इस करार द्वारा की गयी हैं या ऋणी बैंक के प्रति अपने किसी दायित्व को पूरा करने में चूक करता हैं या उपरोक्त ऋण करार की किसी शर्त का उल्लंघन करता हैं, या कोई ऐसी घटना हो जाती हैं जिसके कारण बैंक के विचार में इस प्रतिभूति के लिये जोखिम उत्पन्न हो गया हैं तो वे उस माल को अपने कब्जे में ले सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, किसी से ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं या उसका कब्जा अपने हाथ में ले सकते हैं. इसके लिए और बातों के अतिरिक्त, गोदामों या अन्य स्थानों पर बैंक के ताले लगाना भी शामिल हैं जहां पर आडमानित माल या हिसाब-किताब की पुस्तकें या आडमानित रखे गये बही ऋणों संबंधी अन्य दस्तावेजें पड़ी हैं. वे एक रिसीवर की नियुक्ति भी कर सकते हैं तथा उपरोक्त माल और आस्तियां और उनसे संबंधित खातों, कागजों, दस्तावेजों, वाऊचरों और अन्य अभिलेखों को हटा भी सकते हैं. वे ऋणियों और उनके लिए उत्तरदायी तीसरे पक्षों को नोटिस दें सकते हैं और मांगें भी बना सकते हैं, उगाही के लिए मुकदमा चला सकते हैं, राशियां प्राप्त कर सकते हैं और उनके लिए रसीदें दे सकते हैं. इसके साथ ही वे उस माल को बेच सकते हैं, उसका बिक्री मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, उसका निपटान कर सकते हैं और किसी भी तरीके से उसका निपटारा कर सकते हैं. निपटारे के तरीकों में टैंडर या सार्वजनिक नीलामी या निजी संविदा का सहारा लिया जा सकता है. ऐसा करने में किसी न्यायालय का पूरे माल और आस्तियों अथवा इसके एक भाग के लिए हस्तक्षेप हो भी सकता हैं और नहीं भी। इसके साथ ही वे वसूली कर सकते हैं, निबटारा कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, पचंनिर्णय के लिए दे सकते हैं और या किसी भी प्रकार उस माल के सम्बन्ध में अधिकारों और ऋणों या दावों का निपटारा कर सकते हैं, किन्ही वायदों को पूरा कर सकते हैं और ऋणी के अभिकर्ताओं, प्रबंधकों या अन्यों के माध्यम से उसके कारोबार को चला सकते हैं। वे इस बात के लिए बाध्य नहीं होगें कि वे इनमें से किसी शक्ति का अनिवार्यतः प्रयोग करें और इस शक्ति के प्रयोग से होने वाली किसी हानि के लिए

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

वे जिम्मेदार नहीं होगें । मुकद्दमा चलाने या अन्यथा अपने अधिकारों के प्रयोग या उपचारों का सहारा लेने के बैंक के अधिकार अक्षुण्ण रहेंगे । और इस बात के होते हुए भी कि कोई मुकद्दमा या अन्य कार्रवाही चल रही हैं, ऋणी इस बात का वचन देता हैं कि वह बैंक के कहने पर तुरन्त उपरोक्त माल और आस्तियों का कब्जा बैंक को दे देगा और उन्हें यह भी अधिकार होगा कि जब भी बैंक कहे तो वह ऋणी अपने कर्जदारों को यह नोटिस दे दे कि वे बैंक को सारी हुण्डियां, संविदाएं, प्रतिभूतियां, कागज और दस्तावेज दे दे और ऋणी यह भी स्वीकार करता हैं कि बैंक बिक्री से प्राप्त राशियों के जो लेखे देगा वे उन राशियों की वसूली के समुचित प्रमाण के रुप में मान्य होंगे और इसी प्रकार उनसे सम्बन्धित खर्चे भी प्रमाणित मान लिए जाएंगे । ऋणी यह वचन भी देता हैं कि उस लेखे में जो कमी या त्रुटि हो उसकी राशि वह चुकायेगा बशर्ते बैंक को सदा इस बात का अधिकार रहेगा कि वह किसी अन्य राशि या राशियों का प्रयोग, जो ऋणी के खाते में हों या उसकी ही किसी ऐसी राशि के भुगतान के लिए कर सकेगा जो कि ऋणी को दी गयी और/या दी जाने वाली उपरोक्त ऋण सुविधाओं या उनमें से किसी एक के सम्बन्ध में या अन्यथा जैसा की ऊपर कहा गया हैं, बैंक को देय हो । बैंक को यह भी अधिकार हैं कि वह ऋणी से मुकद्दमें के माध्यम से या अन्यथा शेष राशियां वसूल कर सकता हैं जो उपरोक्त ऋण सुविधाओं के अनुसार या अन्यथा बैंक को देय हों । इससे कोई भेद नहीं पड़ेगा कि प्रतिभूतियां या उनमें से कोई प्रतिभूति वसूल न हुई हो । साथ ही यह भी शर्त हैं कि बैंक को इन शक्तियों के अधीन रहते हुए, ऋणी बैंक के अनुमोदन से अपने कारोबार के दौरान समय समय पर उपरोक्त माल और आस्तियों का प्रयोग कर सकता हैं, लेकिन शर्त यह हैं कि प्रतिभूति के जिन मार्जन की बैंक अपेक्षा करे वह उसका मार्जन पूरी तरह बनाये रखे और उस माल और आस्तियों से प्राप्त आय और तत्सम्बन्धी दस्तावेज मिलने के बाद वह इन्हें तुरन्त सौंप दे ।

(7) That the Bank its Agents and Nominees shall be entitled, at all times without notice to the Borrower but at the Borrower's risk and expense and if so required as Attorney for and in the name of the Borrower to enter any place where the said goods and assets maybe and inspect, value insure, superintend disposal and/or take particulars of all or any part of the said goods and assets and check any statements accounts reports information and for the purpose of such entry to do all acts, deeds and things deemed necessary by the Bank including breaking open of any place where the hypothecated goods and the books of account or other documents relatig to the hypothecated debts and assets may be lying or stored or kept and also on any default of the Borrower in payment of any money hereby secured or the performance of any obligtion of the Borrower to the Bank or breach of any term of the said Agreement of Loan or the occurrence of any circumstances in the opinion of the Bank endangering this security to take charge of, seize, recover, receive, take possession of, *inter-alia*, by putting its locks on godowns and other places where the hypothecated goods or account books and other documents relating to the hypothecated book-debts are lying or kept and to appoint receiver or remove all or any part of the said goods and assets and also all books of accounts, papers, documents and vouchers and other records relating thereto, and also to give notices and demands to debtors and third parties liable therefor sue for recovery receive and give receipts for the same and/or sell, realise, dispose of and deal with in any manner including by tender or public auction or private contract and whether with or without the intervention of Court all or any part of the said goods and assets and to enforce realise, settle compromise submit to arbitration and deal in any manner with any rights and debts or claims relating thereto and to complete any engagements and carrying on the buiness of the Borrower through Agents, Managers or otherwise without being bound to exercise any of these powers or being liable for any loss in the exercise thereof and without prejudice to the Bank's rights and remedies of suit or otherwise and notwithstanding there may be any pending suit or other proceedings the Borrower undertaking to give immediate possession to the Bank

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

on demand of the said goods and assets and to give notices to debtors as and when required by the Bank to transfer and deliver to the Bank all relative bills contracts securities papers and documents and agreeing to accept the Bank's accounts of sales receipts and realisations as sufficient proof of amounts realised and relative expenses and to pay any shortfall or deficiency thereby shown provided that the Bank shall be entitled at all times to apply any other money or monies in its hands standing to the credit of or belonging to the Borrower in or towards payment of any amount for the time being payable to the Bank in respect of all or some or any of the aforesaid credit facilities granted and/or agreed to be granted by the Bank or otherwise as aforesaid and to recover at any time from the Borrower by suit or otherwise the balance remaining payable to the Bank in respect of the aforesaid credit facilities or otherwise notwithstanding that all or any of the securities may not have been realised provided also that subject to these powers of the Bank the Borrower may with the approval of the Bank deal with the said goods and assets from time to time in due course of business provided the margin of security required by the Bank is fully maintained and on the terms of payment or delivery to the Bank of the proceeds thereof or documents therefor immediately on receipt thereof.

(8) कि ऋणकर्ता प्रतिमास या बैंक के कहे अनुसार उससे भी कम अवधि के बाद उपरोक्त माल.और आस्तियों का विवरण, जो बैंक के पास आडमान के रूप में रखी गयी हो,बैंक को प्रस्तुत करे । यह विवरण उस रुप में दिया जायेगा जिसमें समय-समय पर बैंक कहे । उसके साथ चालू बीमा पालिसीयों और उन राशियों की सूची होगी जिनके बारे में ऋणी का यह प्रमाण पत्र संलग्न होगा कि माल की मात्राएं और राशियाँ ठीक हैं और कि उपरोक्त माल और आस्तियों का पूरा बीमा कराया गया हैं । ऋणी सारे विवरण, रिपोर्टों, प्रमाण पत्रों और जानकारी का सत्यापन करेगा और सारे दस्तावेजों का निष्पादन करेगा । इसके साथ ही वह वे सारे काम करेगा जिनकी अपेक्षा बैंक उससे करें जिससे कि इन्न दस्तावेजों को लागू किया जा सके । ऋणी बैंक और उसके अभिकर्ता को और नामांकित व्यक्तिं के रुप में बैंक को उसके मुख्तार की हैसियत से वह सब काम ऋणी के नाम में करने का अधिकार देता हैं जो इस करार के अर्न्तगत ऋणी द्वारा किए जाना अपेक्षित हैं ।

(8) That the Borrower will submit to the Bank monthly or oftener as may be required statement of the said goods and assets hypothecated to the Bank in the form prescribed by the Bank from time to time with list of current insurance policies and amounts verified by certificates of the Borrower that the quantities and amounts stated are correct and that all the said goods and assets are fully covered by insurance and will also furnish and verify all statements reports returns, certificates and information and will also execute all documents and do all acts and things which the Bank may require to give effect hereto and the Borrower authorises the Bank and each of its Agents and Nominees as Attorney for and in the name of the Borrower to do whatever the Borrower maybe required to do hereunder.

(9) कि यह करार उपरोक्त सभी राशियों, ऋणों और देयताओं के लिए जारी रहने वाली प्रतिभूति के रुप में लागू रहेगा और इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ेगा कि खाते या खातों में क्रेडिट बैलेंस हैं, या ऋणी द्वारा आंशिक भुगतान किए गए हैं, या खातों में उतार-चढ़ाव हुआ हैं ।

(9) That this Agreement shall operate as a continuing security for all moneys indebtedness and liabilities aforesaid notwithstanding the existence of a credit balance in the account or accounts at any time or any partial payments or fluctuations of accounts.

(10) इस अनुबन्ध की किसी भी बात का प्रभाव वर्तमान या भावी प्रतिभूति गारंटी के प्रति

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

Executive Director

Fo

ऋणी के दायित्व पर नहीं पड़ेगा और इस सम्बन्ध में बैंक के अधिकार और उपचारात्मक उपाय निष्प्रभावी बने रहेंगे ओर किसी देयता के सम्बन्ध में दी गई डिग्री या ऋणी के बैंक के प्रति दायित्व पर भी इनका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(10) That nothing herein contained shall prejudice and rights or remedies of the Bank in respect of any present or future security, guarantee obligation or decree for any indebtedness or liability of the Borrower to the Bank.

(11) ऋणी इस बात की घोषणा करता है कि इस करार के अर्न्तगत आडमानित रखा गया उपरोक्त सारा माल और आस्तियां जो इस समय विद्यमान हैं और जिन पर अब के बाद किसी प्रतिभूति का निर्माण हो सके जिससे कि उपरोक्त ऋण सुविधाओं या उनमें से कुछ या किसी एक सुविधा के लिए प्रतिभूति के रुप में ये उपलब्ध हो सकें और जो ऐसी प्रतिभूति के निर्माण के समय अस्तित्व में हैं, ऋणी की सम्पति हैं और रहेंगी और वह अकेला ही उनके निपटान करने का अधिकार रखता हैं और उन पर पहले से कोई भार, पूर्व ग्रहणाधिकार या कोई बाधा नहीं हैं, सिवाय उनके जिनकी सूचना बैंक को दी जा चुकी हैं और बैंक ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वह भी बैंक के पक्ष में भार की तुलना में प्राथमिकता रखेगा और कि भविष्य में जो माल और आस्तियां प्रतिभूति के रुप में बैंक को दी जाएंगी, उन पर भी कोई भार नहीं होगा और वे पूरी तरह ऋणी की सम्पत्ति होंगी और वह अकेला ही उनका उत्सर्जन करने के लिए स्वामित्व रखेगा। ऋणी यह भी घोषणा करता हैं कि वह पहले से बैंक की अनुमति लिए बिना वह उपक्रम की संपत्ति (वह चल हो या अचल) और आस्तियों (जिनमें मांगी न गयी शेयर पूंजी या उसका कोई अंश भी शामिल हैं यह बात उस दशा में लागू होती हैं जब ऋणी कोई कम्पनी हो) पर कोई बंधक, भार, पूर्व ग्रहणाधिकार या कोई अन्य भार बैंक के सिवाय किसी और के पक्ष में उत्पन्न नहीं होने देगा और न इस बात का अनुमात दगा कि उनके कारण सपत्ति या उसके किसी अंश पर बुरा प्रभाव पड़े और न कोई ऐसा काम करेगा या होने देगा जिसके कारण प्रतभूति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। जब तक ऋणी बैंक का ऋणी या उसके प्रति उत्तरदायी हैं तब तक वह बैंक की लिखित सहमति के बिना ऐसा कोई काम भी नहीं करेगा, जिसके कारण प्रतिभूति पर प्रतिकूलात्मक प्रभाव पड़े। वह पहले से बैंक की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना और किसी से ऋण भी नहीं लेगा।

(11) That the Borrower declares that all the said goods and assets hypothecated hereunder and are at present in existence and all the said goods and assets over which security may be created hereafter for all or some or any of the aforesaid credit facilities and are in existence at the time of such creation of security are and shall be the absolute property of the Borrower at his/its sole disposal and free from any prior charge lien or encumbrance except such charge lien or encumbrance as have been notified to the Bank and accepted by it as having priority over its charge and that all the future goods and assets to be given as security to the Bank shall likewise be the unencumbered absolute and disposable property of the Borrower and the Borrower shall not without the Bank's prior permission create any mortgage, charge, lien or encumbrance of any kind upon or over the same or on the undertaking property (whether movable or immovable) and assets (including uncalled share capital or any part thereof in the case of Borrower company) except to the Bank nor suffer any such mortgage, charge lien or encumbrance to affect the same or any part thereof nor do or allow anything that may prejudice the security while the Borrower remains indebted or liable to the Bank in any manner without Bank's written consent. The Borrower shall also not resort to outside borrowings without the Bank's prior written consent.

(12) इस करार के अन्तर्गत बैंक के अधिकारों, शक्तियों और विशेषाधिकारों के अन्तर्गत

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

रहते हुए या अन्यथा ऋणी, बैंक के अनुमोदन से और अपना कारोबार चलाते हुए, समय समय पर उस माल और आस्तियों की बिक्री कर सकता है जो बैंक के पास दृष्टिबंधक रखे गये हों लेकिन शर्त यह हैं कि प्रतिभूति के जिन मार्जनों की अपेक्षा बैंक द्वारा की गई हैं वे सदा पूरी तरह बनाये रखी जायेंगी और बिक्री मूल्य की राशि के भुगतान और तत्संबंधी आगम राशियाँ बैंक को सौंपने तथा इस संबंध में प्राप्त होने वाले दस्तावेजों को बैंक को देने की तुरंत व्यवस्था की जायेगी । यह बात स्पष्ट रुप से समझ ली गयी हैं कि इस अनुबन्ध के अर्न्तगत निर्मित प्रतिभूति और माल की बिक्री से प्राप्त राशि, वसूल की गयी राशियों और बीमे की राशि बैंक में तुरन्त जमा करा दी जाएगी और तत्संबंधी दस्तावेजों के सारे अधिकार और हित अलग से रखे जायेंगे और उन्हें बैंक की अनन्य संपत्ति के रुप में रखा जाएगा क्योंकि इन्हें अनुबंध के अनुसार निर्मित प्रतिभूति के लिए विशेषतया विनियोजित किया जाएगा और इनके संबंध में केवल बैंक के आदेशानुसार ही कार्यवाही की जाएगी ।

(12) Subject always to the Bank's rights powers and privileges under this Agreement or otherwise the Borrower may with the approval of the Bank and in due course of business sell from time to time the said goods and assets which have been hypothecated to the Bank provided the margins of security required by the Bank are always fully maintained and on the terms of payment and delivery to the Bank of the proceeds thereof the documents relating thereto immediately on receipt and on the express understanding that the security created hereunder and all realisations, recoveries and insurance proceeds thereof and all rights and interests in respect and all documents therefor shall always be kept distinguishable and held as the Bank's exclusive property specifically appropriated to the security created hereunder to be dealt with only under the directions of the Bank.

(13) कि बैंक इस अनुबन्ध में दिये गए माल और आस्तियों के गुम होने या उनको क्षति पहुंचने के बारे में ऋणी या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, जो चाहे किसी भी कारण हुई हो और चाहे वह माल और आस्तियां ऐसी हानि या क्षति के समय या उनके कारण घटित होने के समय बैंक के कब्जे में रही हों अथवा नहीं । ऋणी हर समय बैंक को सभी वादों, कार्यवाहियों, लागतों, शुल्कों, दावों और मांगों से होने वाली क्षति के एवज में क्षतिपूर्ति करेगा और करता रहेगा । यह चाहे किसी भी समय हुआ हो या चाहे कोई भी व्यक्ति बैंक के विरुद्ध ऐसा वाद किसी काम और बातों के बारे में लाये जो बैंक ने इस अनुबन्ध के अर्न्तगत अपने अधिकारों और शक्तियों के अनुसार उस माल और आस्तियों के बारे में कानूनी तौर पर की हों या करवाई हों ।

(13) That the Bank shall not be under any liability whatsoever towards the Borrower or any other person for any loss or damage to the said goods and assets the subject of this Agreement from or in whatever cause or manner arising whether such goods and assets shall be in the possession of the Bank or not at the time of such loss or damage or the happening of the cause thereof. The Borrower shall at all times indemnify and keep indemnified the Bank from and against all suits proceedings costs charges claims and demands whatsoever that may at any time arise or be brought or made by any person against the Bank in respect of any acts matters and things lawfully done or caused to be done by the Bank in connection with the said goods and assets or in pursuance of the rights and powers of the Bank under this Agreement.

(14) ऋणी बैंक द्वारा अनुमोदित गोदाम, फैक्टरी या अन्य स्थानों पर, जहां बैंक के नाम आडमानित रखा माल और आस्तियां पड़ी हैं और जिनके एवज में आहरण की सीमाएं निर्धारित की गई हैं, बैंक के नाम की तख्ती लगाएगा । इसका उद्देश्य यह बताना है कि यह माल और ये आस्तियां बैंक के पास पूरी तरह से या आंशिक रुप में आडमानित रखी गयी हैं ।

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

Executive Director

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

(14) That the Borrower shall display the Bank's name on the godown factory and other places approved by the Bank where such goods and assets as are hypothecated to the Bank and against which limits for purposes of drawings have been fixed under all or some or any of the aforesaid credit facilities have been stored indicating that such goods and assets are hypothecated to the Bank.

(15) ऋणी की सारी मशीनें जो बैंक के पास आडमानित है और जो बैंक के पक्ष में प्रभारित हैं उन्हें चल सम्पत्ति माना जाएगा और अचल संपत्ति नहीं और उन पर बैंक के नाम की तख्ती लगी होगी जिससे यह पता चले कि वे मशीनें बैंक के पास आडमानित पड़ी हैं और बैंक के पक्ष में प्रभारित हैं। ऋणी कारखाने के मुख्य हाल में ऐसे स्थान पर जहां वह ठीक ठीक पढ़ी जा सके, उन मशीनों की सूची लटकायेगा जो बैंक के पास आडमानित रखी गयी हैं और बैंक के पक्ष में प्रभारित हैं।

(15) All the machineries of the Borrower hypothecated and charged to the Bank shall be treated as movable property and not as an immovable property and shall bear the name of the Bank indicating that the said machineries are hypothecated and charged to the Bank. The Borrower shall also exhibit conspicuously in the main-hall of the factory a list showing the items of machineries hypothecated and charged to the Bank.

उपरोक्त अनुबन्ध में वर्णित अनुसूचि

THE SCHEDULE REFERRED TO HEREINABOVE

(जो मशीनें आडमान रखी गयी हों उनका वर्णन यहां दीजिए)

[Give description of the machinery hypothecated]

इन पक्षों ने इसमें इसके साक्ष्यों के रुप में इसमें ऊपर लिखे दिन को और वर्ष में ये विलेख निष्पादित किए :-

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have executed these presents the day and year first hereinabove written.

मेसर्स

के लिए और उनकी ओर से स्वत्वधारी के रुप में

श्री/श्रीमती/कुमारी

ने हस्ताक्षर किए, मुहर लगाई और इसे सुपुर्द किया।

Signed Sealed and Delivered by Shri/Smt./Kum.

for and on behalf of

Messrs

मेसर्स

के लिए और उनकी ओर से

स्वत्वधारी

For and on behalf of Messrs

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.
Executive Director

PVT. LTD.
Director

as proprietor/proprietress

मेसर्स

के लिए और उनकी और से भागीदारों के रूप में

श्री/श्रीमती/कुमारी

श्री/श्रीमती/कुमारी

श्री/श्रीमती/कुमारी

श्री/श्रीमती/कुमारी

ने हस्ताक्षर किए, मुहर लगाई और इसे सुपुर्द किया।

Signed Sealed and Delivered by

Shri/Smt./Kum.

Shri/Smt./Kum.

Shri/Smt./Kum.

Shri/Smt./Kum.

for and on behalf of

Messrs

as partners

मेसर्स

के लिए और उनकी ओर से संयुक्त परिवार के कर्ता के रुप में

श्री

ने हस्ताक्षर किए, मुहर लगाई और इसे सुपुर्द किया।

उपर्युक्त व्यक्तियों की सामान्य मुहर*

Proprietor/Proprietress

या

मेसर्स

के लिए और उनकी और से

1.

2.

3.

4.

भागीदार

For and on behalf of Messrs

1.

2.

3.

4.

Partners

या

मेसर्स

के लिए और उनकी ओर

कर्ता

दिनांक

को पारि
समिति वं
गई थी और

(1) श्री

और

(2) श्री

ने इन विले

Signed Sea

Shri

for and on l

Messrs

as Karta of

THE COM
NAMED

was hereun

affixed in p
Committee
passed on t

and these p

by (1)

and

(2)

Members o

बैंक के

(विभाग) के

श्री

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

Executive Director

Fo

दिनांक मास वर्ष

को पारित उक्त सोसायटी की प्रबंधक समिति के संकल्प के अनुरुप इसमें लगाई गई थी और उक्त समिति के सदस्यों -

(1) श्री

और

(2) श्री

ने इन विलेखों पर हस्ताक्षर किए और . सदस्य

Signed Sealed and Delivered by

For and on behalf of Messrs

Shri

for and on behalf of

Messrs

as Karta of his joint family

Karta

THE COMMON SEAL* OF THE ABOVE NAMED

was hereunto

affixed in pursuance of resolution of the Committee of management of the said Society passed on the day of 19

and these presents have been signed

by (1)

and

(2)

Members of the said Committee and

MEMBERS

THE COMMON SEAL OF :
Dilpreet tubes Pvt Lt
wa... ...nto affixed
p... ...to a resolution
c... ...oard of Directors
c... ...aid company passed
i... ...behalf on the 21-01-2008
in the presence of Sri Sudhir C Mehta and Rahul B Mehta

बैंक के

(विभाग) के

श्री

भारतीय स्टेट बैंक के लिए और

. LTD.

For DILPREET TUBES PVT. LTD

MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.

Executive Director

द्वारा बैंक के लिए और उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारियों में से एक अधिकारी के रुप में हस्ताक्षर किए गए।

उसकी ओर से

(पदनाम)
(प्राधिकृत अधिकारी)

SIGNED by
of the

(Department)

of the Bank and as such one of the authorised officers of the said Bank or and on behalf of the Bank.

for and on behalf of State Bank of India

(Designation)

(Authorised Officer)

कृते भारतीय स्टेट बैंक
For STATE BANK OF INDIA

सहायक महाप्रबंधक / Asst. General Manager
बालानगर शाखा / Balanagar Br.-6854

* कम्पनी अथवा सोसायटी को ओर से उसकी सामान्य मुहर कम्पनी के संगम ज्ञापन या सोसायटी के अंतर्नियमों के अनुसार ही लगायी जानी चाहिए.

* The Common Seal of the Company or Society must be affixed in accordance with the Articles of Association of the Company or the Bye-laws of the Society.

(P.P./2-207/09-2003/200 Units)

For DILPREET TUBES PVT. LTD

MANAGING DIRECTOR

For DILPREET TUBES PVT. LTD.